न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 20 / 2016 / जैसलमेर

अपीलांट

1. माहेश्वरी समाज, जैसलमेर जरिए मंत्री एवं प्रतिनिधि माहेश्वरी समाज जैसलमेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.महाराज हुकमसिंह पुत्र जवाहरसिंह भाटी राजपूत निवासी जैसलमेर ठिकाणा, मन्दिर पैलेस, जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर जैसलमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 42 / 2015 बअनवान माहेश्वरी समाज, जैसलमेर बनाम हुकमसिंह में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राणीदान सेवक अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री विमलेशकुमार पुरोहित रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 23.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट / वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस आशय का पेश किया कि ग्राम जैसलमेर के खसरा संख्या 513 रकबा 02 बीघा तथा खसरा संख्या 514 रकबा 09.12 बीघा खातेदारी के संबंध में पेश किया गया। अपीलाधीन आराजी के आसपास नगरपालिका की भूमि होने अथवा नगरपालिका के मकान संख्या दर्ज होने मात्र से वादग्रस्त भूमि की प्रकृति कानूनन नहीं बदल सकती है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को आबादी भूमि मानकर उक्त निर्णय विधि विरूद्ध जाकर पारित किया गया है। वकील अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2016 को अगली पेशी 23.02.2016 को होना बताया गया और पश्चात कोई अगली पेशी वकील अपीलांट द्वारा पूछने के बावजूद भी संबंधित क्लर्क द्वारा नहीं बताई गई और न ही संबंधित रीडर द्वारा ही कोई पेशी ही बताई गई। रीडर को इस पत्रावली के बारे में पूछने पर उनके द्वारा यही जबाव दिया गया कि उन्होंने पत्रावलियां जो चार्ज में ली हैं उसमें यह पत्रावली उन्हें चार्ज में नहीं दी गई है और न ही कोई इस पत्रावली की अगामी पेशी के बारे में उन्हें कोई जानकारी ही हैं। इस प्रकार वकील वादी अपीलांट को पेशी दिनांक 23.02.2016 के पश्चात इस मुकदमे में जो भी आदेशिकायें लिखी गई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उनके बारे में बावजूद पूछने के भी कोई जानकारी नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलांट की अनुपस्थित में पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहलेना कर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अतः अपीलाधीन निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी को लेकर रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश जबाव दावे में एक तरफ तो काउन्टर क्लेम पेश किया जा रहा है तथा दूसरी तरफ बता रहे है कि प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत मोबता बनाम मगी बाई को हस्तगत प्रकरण पर लागू होना बताया जबकि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को लेकर उक्त न्यायिक दृष्टांत लागू नहीं होता है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय में दिये निर्देश के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी तो कायम की गई लेकिन अपीलांट/वादी की साक्ष्य नहीं ली गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से माननीय मण्डल के निर्णय की अवहेलना की है। अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी का अपीलांट रिकॉर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत के आधार पर न कर तकनीकी बिंदुओं पर करने से अपीलांट न्याय प्राप्त करने से वंचित रह गये है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया

RLW 1984 Page 573

DNJ 2009(1) Page 410

DNJ 2019(4) Page 1501

DNJ 2012(1) Page 531

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का हित निहित नहीं है। वादग्रस्त आराजी नगरपालिका सीमा में है। नगरपालिका की सीमा में चारों तरफ से कोई काश्तकारी भूमि आने पर उस पर खातेदार अधिकार समाप्त हो जाते है। इस संबंध में एस बी सी द्वितीय अपील मोबता बनाम मगी बाई का न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर लागू होना बताया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.04.2016 को वादी/अपीलांट ने मौखिक साक्ष्य पेश करने से मना किया है तब दिनांक 21.04.2016 को दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील झूठे एवं कल्पना के आधार पर मनगंढत तथ्यों के आधार पर पेश की गई जो वास्तविकता से परे है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेंट ने अपने कथन में समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

AIR 1937 (PATANA) Page 534

सर्वप्रथम धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वकील अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2016 को अगली पेशी 23.02.2016 को होना बताया गया और पश्चात कोई अगली पेशी वकील अपीलांट द्वारा पूछने के बावजूद भी संबंधित क्लर्क द्वारा नहीं बताई गई और न ही संबंधित रीडर द्वारा ही कोई पेशी ही बताई गई। रीडर को इस पत्रावली के बारे में पूछने पर उनके द्वारा यही जबाव दिया गया कि उन्होंने पत्रावलियां जो चार्ज में ली हैं उसमें यह पत्रावली उन्हें चार्ज में नहीं दी गई है और न ही कोई इस पत्रावली की अगामी पेशी के बारे में उन्हें कोई जानकारी ही हैं। इस प्रकार वकील वादी अपीलांट को पेशी दिनांक 23.02.2016 के पश्चात इस मुकदमे में जो भी आदेशिकायें लिखी गई उनके बारे में बावजूद पूछने के भी कोई जानकारी नहीं दी गई। अपीलांट द्वारा दिनांक 13.04.2016 को पेश आवेदन का न तो आदेशिका में उल्लेख है तथा न ही आवेदन पर प्रजेंटेशन की हुई है। इससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही नियमित नहीं थी। वकील वादी द्वारा हस्तगत

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रकरण की पेशी तारीख बार बार पूछने एवं उन्हें अगली पेशी की जानकारी चाही तब दिनांक 22.08.2016 को संबंधित क्लर्क ने उन्हें बताया कि इस मामले में दिनांक 26.04.2016 को निर्णय हो चुका हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.08.2016 को अपीलाधीन निर्णय की नकले प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया जो दिनांक 07.09.2016 को प्राप्त हुई तब अपीलाधीन निर्णय का सम्पूर्ण ज्ञान हुआ तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपीलाधानी आराजी पर कब्जा काश्त अपीलांट का है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है। अपील अन्दर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलकर्ता ने अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध हस्तगत अपील सुदीर्घ अवधि के बाद बेबुनियाद आधारों पर यह अपील पेश की है। वादी वकील द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 13.04.2016 को आवेदन पेश किया जिस कारण से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित थे। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का विवरण बताना होता है जबकि अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि के बाद पेश अपील में हुई देरी का विवरण नहीं बताया गया। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RCR (CIVIL) HC (Punjab and Haryana) Page 296

SC (LANKA VENKATESWARLU VRS STATE)

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण को लेकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय के आलोक में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

देते हुए निर्णय पारित करना न्यायोचित है। इसलिए न्यायहित में अपीलांट को उसकी अपील गुणावगुण पर निपटाने का मौका दिया जाना चाहिए। अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि पश्चात अपील प्रस्तुत करने में उसकी ओर से जानबूझकर देरी करने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं हुआ है। केवल ज्ञान कब? किसके द्वारा? होने का कथन नहीं कर देने के तकनीकी एतराजों पर अपील खारिज करने से अपीलांट न्याय से वंचित हो सकता है। लिहाजा अपील प्रस्तुति के विलम्ब को सद्भाविक मानकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित अपीलय निर्णय दिनांक 10.08.2015 की पूर्ण पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य एवं सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का सदभावी रिकॉर्डेड खातेदार है तथा उनके द्वारा वादग्रस्त अराजी को लेकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गये वाद को तकनीकी बिंदुओं पर निस्तारण करने से अपीलांट के हितों पर कुठाराघात होता है। अपीलाधीन आराजी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण क्षेत्राधिकार के बिंदु पर किया गया है जबकि अपीलांट/वादी वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार होने से अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार रखता है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

DNJ 2012(1) Page 531 (Dismissed Land in dispute is recorded as an agricultural land in the name of respondents Land not converted for non-agricultural purpose Temple and some other buildings have been constructed without permission Plea that land was orally gifted by the khatedars construction of the temple Land is not in use for agriculture purpose for a long time but nature of the land cannot be change on this ground)

DNJ 2009(1) Page 410 (प्रश्नगत भूमि कभी भी काश्त नहीं की गई लेकिन राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि दर्ज थी कृषि से आबादी में भूमि का रूपान्तरण नहीं वाद राजस्व न्यायालय द्वारा ग्रहण योग्य है)

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन एवं अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 92(क) 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2015 बअनवान माहेश्वरी समाज, जैसलमेर बनाम हुकमसिंह में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2016 को निरस्त कर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत वाद में संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर बाद समुचित सुनवाई अधिकतम चार माह में विधिक प्रावधानों के अनुसार दावे का गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को निर्देश दिये जाते है कि वे अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.01.2020 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। इससे पूर्व अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली भिजवाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

23/12/19

(नाथूसिंह राजपुरोहित)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner